न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 96/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी –शाखा प्रबन्धक, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर मानसरोवर इण्स्ट्रीयल एरिया जयपुर	**बनाम**	1. डालचन्द पुत्र कनीराम खटीक निवासी गाजुणा, ग्राम पंचायत शिवपुर पंचायत समिति माण्डल तहसील करेडा 2. श्रीमती पतासी देवी पत्नी डालचन्द खटीक 3. शंकर लाल पुत्र डालचन्द खटीक 4. दलपत चन्द पुत्र डालचन्द खटीक निवासीयान गाजुणा, ग्राम पंचायत शिवपुर पंचायत समिति माण्डल तहसील करेडा जिला भीलवाडा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी–श्री सद्धाम हुसैन

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक : 01.09.2021

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर मानसरोवर इण्स्ट्रीयल एरिया जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 6,75,000/– रुपये का ऋण दिनांक 09.06.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो चल/अचल सम्पति – डालचन्द पुत्र कनीराम खटीक का एक आवासीय मकान नपती 18 फीट बाई 79 फीट कुलिया क्षैत्रफल 1422 वर्गफीट का जो पटटा नम्बर 21, बुक नम्बर 2500, ग्राम गाजुणा ग्राम पंचायत शिवपुर पंचायत समिति माण्डल में अवस्थित हैं, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक. 31.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 8,37,600/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.03.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार करेडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा